

मध्यवर्ती विभाग

संदर्भ : आईआरडीएआई/एसयूआर/नामांकन/ओएन/फरवरी/2024

दिनांक 29.02.2024

सर्वेक्षक नामांकन सूचना

- 1) भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई) प्रत्येक वर्ष मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के पहले और दूसरे सप्ताह के दौरान त्रैमासिक आधार पर "आईआईआई सर्वेक्षक प्री-लाइसेंसिंग परीक्षा" आयोजित करता है, जिसमें क्रमशः जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान पंजीकरण स्लॉट खोला जाता है।
- 2) पिछले एक वर्ष के दौरान, यह देखा गया है कि आईआईआई द्वारा पंजीकरण स्लॉट खोले जाने से ठीक पहले, प्रशिक्षु सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा काफी संख्या में प्रशिक्षु नामांकन आवेदन जमा किए जा रहे हैं, जिससे इन आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए कम समय (1 सप्ताह) मिलता है और आवेदक उनके आवेदनों की स्थिति के बारे में लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं।
- 3) अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए, इन आवेदनों को गुणात्मक रूप से प्रसंस्करण करने के लिए, आवेदकों को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए, समय पर मंजूरी देने के लिए और योग्य प्रशिक्षु आवेदकों को आईआईआई परीक्षाओं के लिए पंजीकरण करने से पहले भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए) में छात्र सदस्यता के लिए आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए; प्रत्येक तिमाही परीक्षाओं के लिए प्रस्तुत नामांकन आवेदनों पर विचार करने के लिए निम्नलिखित कट-ऑफ तिथियां तय की गई हैं:

आईआईआई सर्वेक्षक प्री-लाइसेंसिंग परीक्षाएं हर साल त्रैमासिक दौरान आयोजित की जाएंगी	पंजीकरण की तारीखें आईआईआई द्वारा खोली जाने की तिथियां	प्रशिक्षु नामांकन आवेदन जिन पर आईआरडीएआई द्वारा विचार किया जाएगा
मार्च	जनवरी के प्रथम सप्ताह के दौरान	15 दिसंबर या उससे पहले आईआरडीएआई को बीएपी पोर्टल पर प्रस्तुत किये गये आवेदन
जून	अप्रैल के प्रथम सप्ताह के दौरान	15 मार्च या उससे पहले आईआरडीएआई को बीएपी पोर्टल पर प्रस्तुत किये गये आवेदन
सितम्बर	जुलाई के प्रथम सप्ताह के दौरान	15 जून या उससे पहले आईआरडीएआई को बीएपी पोर्टल पर प्रस्तुत किये गये आवेदन
दिसंबर	अक्टूबर के प्रथम सप्ताह के दौरान	15 सितम्बर या उससे पहले आईआरडीएआई को बीएपी पोर्टल पर प्रस्तुत किये गये आवेदन

- 4) प्रशिक्षु आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त कट-ऑफ तारीखों का ध्यान रखें और आईआरडीएआई द्वारा विचार के लिए उपरोक्त कट-ऑफ तारीखों से पहले ही प्रशिक्षु नामांकन आवेदन जमा कर दें।
- 5) आवेदकों को सलाह दी जाती है की प्रशिक्षु नामांकन आवेदन जमा करने से पहले निम्नलिखित को भी सुनिश्चित करे:
- क) जांचें कि क्या उसके पास समय-समय पर संशोधित आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 के अनुलग्नक -1 के तहत आवश्यक योग्य योग्यताओं में से कोई एक है।
- ख) बीएपी पोर्टल में पंजीकृत नाम बिल्कुल वही है जो पात्र योग्यता प्रमाण पत्र में उल्लिखित है।
- ग) पैन नंबर का सही उल्लेख किया गया है।
- घ) पते का उल्लेख बिल्कुल वैध पते के प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, नवीनतम टेलीफोन बिल, नवीनतम बिजली बिल, नवीनतम बैंक स्टेटमेंट, नवीनतम पानी बिल, नवीनतम गैस बिल इत्यादि के अनुसार किया गया है।
- ङ) यदि वह सर्वेक्षक के तहत प्रशिक्षण लेना चाहता है, तो बीएपी में उसे अधिकतम 3 विभागों के लिए आपके वर्तमान पते के पास (200 किलोमीटर से कम) "प्रशिक्षक का चयन" करना होगा। प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक को उस अनुरोध को स्वीकार करना होगा। फसल विभाग और एनआईए या आईआईआई के साथ संस्थागत प्रशिक्षण के लिए, इस चरण को छोड़ा जा सकता है।
- च) कृपया बीएपी पोर्टल से संबंधित मार्गदर्शन के लिए <https://www.irdabap.org.in/irj/portal/anonymous> पर सर्वेयर टैब के तहत उपलब्ध उपयोगकर्ता मैनुअल देखें।
- 6) आवेदकों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे प्रशिक्षु नामांकन आवेदन जमा करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों को तारीख के साथ स्व-सत्यापित करने के बाद अपलोड करें:
- क) पैन कार्ड।
- ख) वर्तमान पते का प्रमाण।
- ग) योग्यता प्रमाण पत्र।
- घ) "सर्वेक्षक के साथ इंटर्नशिप" के मामले में प्रशिक्षक स्वीकृति प्रमाणपत्र।
- ङ) व्यवसाय की स्थिति के संबंध में एक स्पष्टीकरण पत्र, जहां भी आवश्यक हो, व्यवसाय का विवरण देते हुए।
- च) यदि आप किसी कंपनी/फर्म में कार्यरत हैं या यदि किसी व्यवसाय/पेशे में भागीदार/निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपके नियोक्ता/किसी अन्य निदेशक या भागीदार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र; स्पष्ट रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र की तारीख, आपका नाम, पदनाम, कार्य की प्रकृति, पोस्टिंग का स्थान, रोजगार की अवधि, इस तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि सर्वेक्षक लाइसेंस के लिए नामांकन करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम कार्यालय के मुहर के साथ।

Intermediaries Department

Ref: IRDAI/SUR/ENROLL/ON/FEB/2024

Date 29.02.2024

Surveyor Enrollment Notice

- 1) Insurance Institute of India (III) conducts “III surveyor pre-licensing examinations” on quarterly basis during 1st and 2nd week of March, June, September and December every year with the registration slot opened during 1st week of January, April, July and October respectively.
- 2) During the past one year, it had been observed that considerable number of trainee enrollment applications are being submitted by Trainee Surveyors just before the registration slot is opened by III, with lesser time (1 week) for processing of these applications and the applicants keep on continuously follow up about status of their applications.
- 3) To avoid the last minute rush, to enable processing of these applications qualitatively, to give sufficient time to the applicants for responding to the queries, to give timely approvals and to give sufficient time to the eligible trainee applicants for applying to Indian Institute Of Insurance Surveyors & Loss Assessors (IIISLA) for student membership before registering for III exams, the following cut-off dates have been decided for consideration of enrollment applications submitted for each quarter examinations:

III Surveyor pre-licensing examinations to be held every year quarterly during	Registrations dates that will be opened by III for these exams	Trainee Enrollment Applications that will be considered by IRDAI
March	During 1st week of January	Applications submitted in BAP Portal to IRDAI on or before 15 th December
June	During 1st week of April	Applications submitted in BAP Portal to IRDAI on or before 15 th March
September	During 1st week of July	Applications submitted in BAP Portal to IRDAI on or before 15 th June
December	During 1st week of October	Applications submitted in BAP Portal to IRDAI on or before 15 th September

- 4)** The trainee applicants are advised to take note of the above cut-off dates and to submit the trainee enrollment applications well in advance before the above cut-off dates for consideration by IRDAI.
- 5)** The applicants are advised to ensure the following also, before submitting the trainee enrolment applications:
- a)** Check whether he/she holds any one of the eligible qualifications, as required under Annexure-1 of IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015, as amended from time to time.
 - b)** The name registered in the BAP portal is exactly same as mentioned in eligible qualification certificate.
 - c)** PAN No. is correctly mentioned.
 - d)** Address is mentioned exactly as per valid address proof like Aadhaar Card, Passport, Ration Card, Voter ID, Latest Telephone Bill, Latest Electricity Bill, Latest Bank Statement, Latest Water Bill, Latest Gas Bill, etc.
 - e)** If he/she wants to undergo training under surveyor, in BAP he/she has to "Select trainer" near to (less than 200 kms) your present address for maximum 3 departments. Trainer has to accept that request for training. For Crop department and for institutional training with NIA or III, this step can be skipped.
 - f)** Please refer to User Manual available under Surveyors Tab on <https://www.irdabap.org.in/irj/portal/anonymous>, for BAP portal related guidance.
- 6)** The applicants are also advised to upload the following documents, after self-attesting with date, at the time of submitting the trainee enrolment applications:
- a)** PAN card.
 - b)** Present Address proof.
 - c)** Qualification Certificate.
 - d)** Trainer Acceptance Certificate, in case of "Internship with Surveyor".
 - e)** An explanation letter in respect of Occupation status, giving details of occupation wherever required.
 - f)** NOC, if employed in a company/firm or if working as partner/director in a business/profession, issued by your employer/any other director or partner; clearly mentioning Date of NOC, Your Name, Designation, Nature of work, Place of posting, Period of employment, the fact that they do not have any objection for you to enrol for surveyor licence, Name & Designation of the official issuing NOC with Office Seal.